126

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–1104–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–12–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–158/अपील/1994–95

.....

हीरालाल तनय श्री मथुरा बसौर
निवासी–ग्राम मलैगवां, तहसील हनुमना
जिला–रीवा(म0प्र0) ------आवेदक

विरूद्ध

1– कमलेश तनय श्री रामशरण (मृतक) वारिसान–
1. श्रीमती प्रतिभा मिश्रा पत्नी स्व0 कमलेश कुमार मिश्रा
2. धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा तनय श्री स्व0 कमलेश कुमार मिश्रा
बली सरपस्त मां श्रीमतमी प्रतिभा मिश्रा
निवासीगण–प्रतापगंज, बेलहा टोला, तहसील हनुमना
जिला–रीवा (म0प्र0)

2– रमेश

4– दयाशंकर, पुत्रगण भीमसेन नाबालिग
बली सरपस्त बाबा जगन्नाथ
निवासीगण–ग्राम प्रतापगंज तहसील हनुमना, जिला–रीवा(म0प्र0)

5– सुभगिया बेवा रामाधर
1. चैन कुमार
2. राजकुमार
3. शिवकुमार
4. छोटकन
5. इन्द्रवती
6. रामवती

6. रामवती
7. छोटकी, सभी के पिता स्व0 रामाधर नाबालिग
   बली सरपस्त मॉ सुभगिया बेवा रामाधर
   निवासीगण–ग्राम अगरही, तहसील हनुमना,
   जिला– रीवा (म0प्र0)

6– बलिकरण तनय मन्नू
   निवासी–ग्राम अगरही तहसील हनुमना, जिला–रीवा (म0प्र0)

7– सन्तिया

8– मनकुटिया

9– कामता, पुत्रीगण मन्नू
   निवासीगण– ग्राम अगरही तहसील हनुमना, जिला–रीवा (म0प्र0)

––––––अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 13 से 15

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15-11-17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–12–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने ग्राम अगरही की प्रश्नाधीन भूमि आराजी नं0 682 रकबा 2.132 हैक्टर के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने दिनांक 29.04.1994 को अनावेदकगण के पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित किया। तहसीलदार ने प्रश्नाधीन आराजी का दिनांक 26.08.94 को आवेदक के पक्ष में नामांतरण किया। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण

134 / अ–6 / 1993–94 में पारित दिनांक 02.02.1995 से तहसील न्यायालय के आदेश को यथावत रखा तथा अपील अस्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त ने प्र0क्र0–158 / अपील / 1994–95 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 01–12–2006 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 02.02.95 एवं तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.94 को विधिसम्मत नहीं पाते हुये निरस्त किया तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार की। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3 / उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों ने तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4 / उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार हनुमना ने अनावेदकगण के पक्ष में दिनांक 29.04.1994 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण का आदेश पारित किया था और तब से ही अनावेदकगण उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर बतौर भूमिस्वामी काबिज है। किन्तु कुछ माह पश्चात ही तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि का दिनांक 26.08.94 को आवेदक के पक्ष में पुनः नामांतरण का आदेश पारित किया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.04.1994 को तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया और फिर पुनः उसी आराजी का नामांतरण आदेश आवेदक के पक्ष में दिनांक 26.08.94 को किया गया । अब एक ही आराजी का तहसीलदार के द्वारा दो बार नामांतरण आदेश पारित किया है, जो रेश्ज्यूडीकेटा की परिधि में आने से विधि के विपरीत है। जब अनावेदकगण के पक्ष में दिनांक 29.04.1994 को आदेश पारित किया गया था और उक्त आदेश के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती पेश नहीं जाती और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तक वह आदेश यथावत बना रहता है। तहसीलदार ने दिनांक 26.08.94 को पुनः उसी वादग्रस्त भूमि का

नामांतरण किया गया, संहिता के प्रावधान के विपरीत है। क्योंकि तहसीलदार अपने आदेश को शून्य घोषित करना चाहता है तो पहले प्रकरण को पुर्नविलोकन की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यवाही करा सकता था, किन्तु तहसीलदार ने आवेदक के नामांतरण आवेदन पत्र पर अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है, जो कि विधि के विपरीत है। आवेदक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपने का स्वत्वधारी मानता है किन्तु अभिलेख के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के पूर्व भूमिस्वामी मन्नू है और मन्नू के स्थान पर प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण किये जाने की पहल आवेदक द्वारा पूर्व में कभी नहीं की। आवेदक चाहे तो व्यवहार न्यायालय से स्वत्व के संबंध में निराकरण कराने हेतु वाद दायर करने के लिये स्वतंत्र है। आवेदक द्वारा बाद में प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण के नामांतरण की बात को छुपाते हुये आवेदन पत्र पेश किया गया है जो बाद की सोच प्रतीत प्रतीत होती है। अनुविभागीय अधिकारी ने इस बिन्दुओं पर गौर किये बिना ही आदेश पारित किया है । अतः तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में अवैधानिकता प्रकट होती है और इसी कारण अपर आयुक्त रीवा ने तहसीलदार के आदेश को तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है, जिसमें को कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–12–2006 न्यायसंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,